an>

Title: Regarding alleged harassment of women by micro-finance companies in Ramtek, Maharashtra.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न राज्यों में अनेक माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की स्थापना हुई है। इन कम्पनियों द्वारा विशेÂषकर ग्रामीण इलाके की महिलाओं को ऋण देने का काम किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में ऐसे कई किस्से सामने आये हैं। वहां अनपढ़ महिलाओं से, जो खेती का काम करती हैं, उनसे गलत जानकारी लेकर ऋण दिया जा रहा है और जब ऋण की वसूली में कठिनाइयां होती हैं, तो उनके घरों में गुंड़े प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर उनके आदमियों और बच्चों को मारने तथा घर में रखे सामान को उठाकर ले जाने की अनेक वारदातें हो रही हैं। मेरे मतदान क्षेत्र में सात महिलाओं अभी तक इस मैटर में आत्महत्या कर चुकी हैं, जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। मैंने पिछले बजट सैशन में बजट पर बोलते हुए यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल मुम्बई में माइक्रो फाइनेंस कम्पनीज से पीड़ित महिलाओं का काफी बड़ा मोर्चा रखा गया है।

अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे 26 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो शायद कानून के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि माइक्रो फाइनेंस कम्पनीज ने जिन महिलाओं को फेक में ऋण दिया है, उसकी जांच की जाये और उनके बकाया ऋण को माफ किया जाये।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Arjun Lal Meena – Not present.